



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 वैशाख 1942 (श0)
(सं0 पटना 268) पटना, बुधवार, 6 मई 2020

वाणिज्य कर विभाग

अधिसूचना

6 मई 2020

एस० ओ० 111, दिनांक 6 मई 2020— बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्, उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 46 के छोटे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर और वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 404 दिनांक 13 दिसंबर, 2019, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 1358 दिनांक 13 दिसंबर, 2019, द्वारा प्रकाशित किया गया था, को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिसूचित करते हैं कि यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त नियमों के नियम 54 के उपनियम (2), (3), (4) और (4क) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, की एक वित्तीय वर्ष में आवर्त पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक हो तो उसके द्वारा किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् बी2सी कहा गया है) को जारी बीजक पर गत्यात्मक त्वरित प्रत्युत्तर (क्यू आर) कोड होगा ।

परंतु जहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से प्रापक को गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर (क्यू आर) कोड उपलब्ध कराता है, जिस गत्यात्मक त्वरित

प्रतिउत्तर में भुगतान का प्रतिसंदर्भ अंतर्विष्ट है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी ऐसा बी2सी बीजक, को गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर रखने वाला समझा जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2020 को प्रवृत्त होगी ।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-8) 784)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

6 मई 2020

एस० ओ० 111, दिनांक 6 मई 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय ।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-8) 784)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

The 6th May 2020

S.O. 111, Dated 6th May 2020.— In exercise of the powers conferred by the sixth proviso to rule 46 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), the Government, on the recommendations of the Council, and in supersession of the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 404 dated the 26th December, 2019, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 1358 dated the 26th December, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby notifies that an invoice issued by a registered person, whose aggregate turnover in a financial year exceeds five hundred crore rupees, other than those referred to in sub-rules (2), (3), (4) and (4A) of rule 54 of said rules, and registered person referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, to an unregistered person (hereinafter referred to as B2C invoice), shall have Dynamic Quick Response (QR) code:

Provided that where such registered person makes a Dynamic Quick Response (QR) code available to the recipient through a digital display, such B2C invoice issued by such registered person containing cross-reference of the payment using a Dynamic Quick Response (QR) code, shall be deemed to be having Quick Response (QR) code.

2. This notification shall come into force from the 1st day of October, 2020.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-8) 784)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 268-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>